SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July – September 2025
E-ISSN 3048-7323
Vol-2
Issue-3

Digital Age में बुजुर्गों की चुनौतियाँ और कानूनी ढांचा

पूनम चौरसिया
सहायक प्राध्यापक (विधि)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

डिजिटल युग ने जहाँ सुविधाएँ बढ़ाई हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। तकनीकी साक्षरता की कमी, साइबर धोखाधड़ी, सामाजिक अलगाव और डिजिटल सेवाओं की पहुँच में असमानता जैसे मुद्दे बुजुर्गों को मुख्यधारा से दूर कर रहे हैं। मौजूदा कानूनी प्रावधान जैसे IT Act, 2000 और Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 इन चुनौतियों का पर्याप्त समाधान नहीं देते। इस शोध में डिजिटल युग में बुजुर्गों की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए एक प्रभावी और समावेशी विधिक ढाँचे की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भारत का वर्तमान कानूनी ढांचा बुजुर्गों की इन डिजिटल चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है? यद्यपि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 और Information Technology Act, 2000 जैसे कानून मौजूद हैं, परंतु वे विशेष रूप से बुजुर्गों के डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा को लक्षित नहीं करते। वर्तमान में ऐसी कोई समर्पित नीति नहीं है जो डिजिटल भेदभाव, साइबर शोषण और तकनीकी बहिष्करण की समस्याओं को विधिक रूप से संबोधित करे। यह शोधसमस्याओं पत्र इसी पृष्ठभूमि में बुजुर्गों की डिजिटल युग में उत्पन्न- की पहचान करता है, और यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार मौजूदा कानूनों, न्यायिक निर्णयों और नीतियों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। साथ ही यह शोध यह भी प्रस्तावित करेगा कि भारत में एक "Digital Rights Framework for Senior Citizens" की आवश्यकता क्यों है और उसे किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है।

कुंजीभूत शब्द

डिजिटल युग बुजुर्गों की चुनौतियाँ डिजिटल साक्षरता, साइबर अपराध, सामाजिक अलगाव, डिजिटल अधिकार, विधिक ढांचा, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Information Technology Act, 2000, निजता का अधिकार, डिजिटल, न्यायिक दृष्टिकोण

प्रस्तावना

भारत जैसे पारंपरिक समाज में परिवार को सामाजिक संरचना की मूल इकाई माना गया है, जहाँ तीन या चार पीढ़ियाँ एक साथ एक ही छत के नीचे रहती थीं। परिवार बुजुर्गों के लिए भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का केंद्र होता था। परंतु, बदलते समय और तकनीकी विकास ने परिवार की इस पारंपरिक संरचना में गहरा परिवर्तन ला दिया है। विशेष रूप से डिजिटल युग में यह परिवर्तन अधिक तीव्र, जटिल और बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।

डिजिटल युग ने जहां आधुनिक जीवन को सुविधाजनक बनाया है वहीं बुजुर्गों के लिए यह तकनीकी बदलाव एक चुनौती बन गया है। इंटरनेट बैंकिंग, ई-गवर्नेंस, मोबाइल ऐप्स, और हेल्थकेयर टैक्नोलॉजी में हो रहे तीव्र बदलावों को अपनाना बुजुर्गों के लिए कठिन है। डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर धोखाधड़ी, सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव–इन सभी ने मिलकर बुजुर्गों के समक्ष एक नई तरह की समस्याएँ प्रस्तुत की हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम कानूनी रूप से यह विश्लेषण करें कि किस हद तक बुजुर्गों को इस डिजिटल परिवर्तन में संरक्षण मिल पा रहा है। बुजुर्ग जनसंख्या, जो अनुभव और परंपरा की प्रतिनिधि होती है, आज डिजिटल परिवर्तन के चलते स्वयं को मुख्यधारा से कटता हुआ महसूस कर रही है। एक ओर जहाँ युवा वर्ग स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं में दक्ष है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों में डिजिटल साक्षरता की भारी कमी देखी जा रही है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल भुगतान, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य परामर्श, और सामाजिक संवाद के लिए सोशल मीडिया का उपयोग - ये सभी तकनीकी बदलाव बुजुर्गों के लिए जटिल और असहज हैं।

इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध, जैसे कि OTP फ्रॉड, फिशिंग कॉल्स, पहचान चोरी आदि, बुजुर्गों को विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं क्योंकि उनमें तकनीकी सावधानी और सतर्कता का अभाव होता है। कई बार वे अपने डिजिटल अधिकारों और कानूनी संरक्षण के उपायों से भी अनजान होते हैं, जिससे न्याय प्राप्त करना कठिन हो जाता ह।

शोध के उद्देश्य

1. डिजिटल युग में बुजुर्गों के सामने आने वाली सामाजिक एवं तकनीकी चुनौतियों की पहचान करना।
2. मौजूदा विधिक ढाँचे (IT Act, 2000; MWPSC Act, 2007; Consumer Protection Act, 2019) का परीक्षण करना।
3. न्यायिक निर्णयों का अध्ययन कर यह समझना कि अदालतों ने बुजुर्गों की डिजिटल सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया है।
4. विकसित देशों में बुजुर्गों के लिए अपनाई गई डिजिटल नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. भारत में एक समर्पित **"Digital Rights Framework for Senior Citizens"** की आवश्यकता को स्थापित करना।
6. परिवार और समाज की भूमिका का आकलन करना तथा यह देखना कि कैसे परिवार और कानून मिलकर बुजुर्गों को डिजिटल रूप से सशक्त बना सकते हैं।

शोध विधि

यह शोध पत्र गुणात्मक पद्धति (Qualitative Research Methodology) पर आधारित है।

शोध विस्तार

भारत में Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, Information Technology Act, 2000, तथा Consumer Protection Act, 2019 जैसे

कानून अवश्य मौजूद हैं, लेकिन ये डिजिटल युग की विशिष्ट चुनौतियों को विशेष रूप से संबोधित नहीं करते। बुजुर्गों की साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन और तकनीकी आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे मौजूदा विधिक ढांचे में समुचित स्थान नहीं पाते।

यह शोधपत्र बुजुर्गों की डिजिटल युग में स्थिति का समाजशास्त्रीय और विधिक - श्लेषण प्रस्तुत करता हैवि, जिसमें परिवार, राज्य और समाज की भूमिकाओं का आकलन किया गया है। साथ ही, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है कि विकसित देशों ने किस प्रकार बुजुर्गों के लिए डिजिटल समावेशन की नीति अपनाई है। अंततः, शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारत में बुजुर्गों के लिए एक समर्पित Digital Rights Framework तैयार करना समय की मांग है, जिससे उन्हें तकनीकी बदलावों में सम्मान, सुरक्षा और सहभागिता प्राप्त हो सके।

1. डिजिटल युग में परिवार की भूमिका

(क) परिवार: पारंपरिक संरचना और उसका बदलता स्वरूप

भारतीय समाज में सदियों से संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही है, जहाँ बुजुर्गों को सम्मान, संरक्षण और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती थी। परंतु वैश्वीकरण, शहरीकरण और तकनीकी जीवनशैली ने इस पारंपरिक ढांचे को तोड़कर एकल परिवारों (nuclear families) को जन्म दिया है। इससे बुजुर्गों का भावनात्मक और सामाजिक समर्थन तंत्र कमजोर हुआ है।

ख) डिजिटल अंतर और पीढ़ियों के बीच दूरी

वर्तमान में बच्चे और युवा वर्ग इंटरनेट, स्मार्टफोन, ऐप्स, ऑनलाइन सेवाओं और सोशल मीडिया में पारंगत हैं। इसके विपरीत बुजुर्गों को इनका उपयोग करना कठिन लगता है। परिवार के भीतर यह डिजिटल अंतर (digital divide) बुजुर्गों को अलग-थलग कर देता है, जिससे उनमें हीनता, आत्म-अवमूल्यन और अवसाद जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

(ग) परिवार में डिजिटल साक्षरता की भूमिका

परिवार का दायित्व है कि वह बुजुर्गों को डिजिटल साक्षर बनाए, उन्हें तकनीक के सरल प्रयोग सिखाए और यह सुनिश्चित करे कि वे साइबर अपराधों से सुरक्षित रहें। आज आवश्यकता है कि परिवार तकनीकी रूप से बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें सम्मानपूर्वक ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने में सहायक बने।

(घ) उपेक्षा, हिंसा और आर्थिक शोषण

कई मामलों में देखा गया है कि परिवार के ही सदस्य बुजुर्गों के बैंक खातों, पेंशन या संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। डिजिटल माध्यमों से उनके नाम पर ऋण, ऑनलाइन खरीदारी, या फर्जी लेन-देन किए जाते हैं। भावनात्मक उपेक्षा, संवादहीनता और निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखने की प्रवृत्ति भी परिवारों में बढ़ी है। यह एक प्रकार की डिजिटल पारिवारिक हिंसा (digital domestic violence) है, जिसे गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।

2. कानून की भूमिका: संरक्षण से सशक्तिकरण तक

विधिक प्रावधान मौजूदा

i. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

यह अधिनियम बच्चों और वारिसों को यह बाध्य करता है कि वे अपने बुजुर्ग मातापिता या - पोषण करें। इसके अंतर्गत जिला-परिजनों का भरणमजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत की जा सकती है। हालांकि, यह अधिनियम डिजिटल युग की समस्याओं जैसे साइबर अपराध, तकनीकी बहिष्कार या डिजिटल अधिकारों की चर्चा नहीं करता।

ii. Information Technology Act, 2000

इस अधिनियम के तहत साइबर अपराधों से सुरक्षा का प्रावधान है। यदि किसी बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, वित्तीय फ्रॉड, या मानसिक उत्पीड़न हुआ है, तो वे इस कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परंतु अधिकांश बुजुर्गों को इसकी जानकारी नहीं होती और न ही उन्हें इसे लागू करवाने की प्रक्रिया आती है।

iii. Indian Penal Code (IPC)

धोखाधड़ी, धमकी, चोरी, या मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थितियों में IPC की धाराएँ जैसे (420 - धोखाधड़ी, 506 - धमकी, 406 - विश्वासघात) लागू हो सकती हैं। लेकिन डिजिटल मामलों में इनके प्रयोग को लेकर अस्पष्टता और पुलिस की कार्यप्रणाली में देरी जैसे मुद्दे हैं।

iv. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

यह अधिनियम तकनीकी और डिजिटल समावेशन की बात करता है, विशेष रूप से दृष्टिहीन, कमजोर वर्गों और बुजुर्गों के लिए। परंतु इसका प्रभावी क्रियान्वयन अब भी एक चुनौती बना हुआ है।

कानूनी जागरूकता की आवश्यकता

अधिकांश बुजुर्गों को यह नहीं मालूम कि यदि कोई उनके मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी करता है तो वे कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं। उनके लिए विशेष लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हेल्पलाइन, और कानूनी सहायता केंद्रों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

डिजिटल अधिकारों की नीति की आवश्यकता

वर्तमान समय में भारत में बुजुर्गों के लिए कोई समर्पित "डिजिटल अधिकार नीति (Digital Rights Policy)" नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बुजुर्गों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ, ऑनलाइन शिकायत मंच, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में भी इसी तरह के एक "Senior Citizens Digital Protection Framework" की आवश्यकता है।

परिवार और कानून का समन्वयात्मक दृष्टिकोण

डिजिटल युग में बुजुर्गों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक भी हैं। ऐसी स्थिति में परिवार और कानून दो ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं, जो

बुजुर्गों को सहारा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान कर सकते हैं। यदि इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो जाए, तो बुजुर्ग न केवल वर्तमान परिवेश में सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि तकनीकी रूप से सशक्त भी बन सकते हैं।

परिवार बुजुर्गों का पहला आश्रय स्थल होता है। भावनात्मक समर्थन, संवाद, निर्णयों में भागीदारी और दिनचर्या में सहयोग - यह सब कुछ बुजुर्गों की मानसिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। जब परिवार तकनीकी बदलावों को स्वीकारते हुए बुजुर्गों को उनमें सहभागी बनाता है, तो यह उन्हें डिजिटल अलगाव से बचाने की दिशा में एक सशक्त कदम होता है। उदाहरण के लिए, यदि परिवार के युवा सदस्य उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग सिखाएँ, ऑनलाइन बैंकिंग समझाएँ, या साइबर सुरक्षा से अवगत कराएँ, तो बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर-, कानून की भूमिका उस स्थिति में प्रमुख होती है जब परिवार अपने दायित्वों से विमुख हो जाए या बुजुर्ग किसी प्रकार के डिजिटल शोषण, धोखाधड़ी या उपेक्षा का शिकार हों। Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, IT Act, 2000, और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ बुजुर्गों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। परंतु कानून केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे सामाजिक स्तर पर समर्थन और जागरूकता प्राप्त हो।

अतः आवश्यक है कि परिवार और कानून के बीच एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, जहाँ परिवार प्राथमिक सहारा बने और कानून अंतिम रक्षक की भूमिका निभाए। सामाजिक संस्थाओं, विधिक सेवा प्राधिकरणों और स्थानीय प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से बुजुर्गों के अधिकारों, सम्मान और तकनीकी सहभागिता को सुनिश्चित करें। इस प्रकार, जब परिवार सहयोग और संवेदना के साथ आगे बढ़े और कानून सुरक्षा व सशक्तिकरण का आधार बने, तभी बुजुर्गों का जीवन डिजिटल युग में गरिमामय और सुरक्षित रह सकेगा। बुजुर्गों की वास्तविक सुरक्षा तभी संभव है जब परिवार और कानून दोनों

मिलकर कार्य करें। परिवार यदि सहयोग और सम्मान दे, और कानून यदि अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो बुजुर्ग डिजिटल युग में भी आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं।

सुझाव:

- बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य रूप से स्थानीय स्तर (ग्राम पंचायत, नगर पालिका) पर आयोजित किए जाएँ।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरल एवं यूजर-फ्रेंडली एप्स और वेबसाइट्स का विकास किया जाए।
- साइबर अपराध से संबंधित शिकायत हेतु अलग "वरिष्ठ नागरिक साइबर हेल्पलाइन" स्थापित की जाए।
- परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बुजुर्गों को तकनीकी ज्ञान देने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
- IT Act, 2000 में संशोधन कर बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े जाएँ जैसे "Digital Vulnerable Users" की श्रेणी।
- बुजुर्गों के लिए विशेष डिजिटल ID या टोकन सिस्टम बनाया जाए जो सुरक्षित लेन-देन सुनिश्चित करे।
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 को डिजिटल फ्रॉड एवं उपेक्षा के मामलों में लागू किया जाए।
- साइबर पुलिस थानों में बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता काउंटर स्थापित किए जाएँ।
- वरिष्ठ नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की स्पष्ट घोषणा और संवैधानिक संरक्षण किया जाए।
- पेंशन, बैंकिंग, हेल्थ सेवाओं आदि के डिजिटल विकल्पों को सरल बनाया जाए, ताकि बुजुर्ग आसानी से इनका उपयोग कर सकें।
- TV, रेडियो और अखबारों के माध्यम से डिजिटल जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिन्हें बुजुर्ग नियमित रूप से देखते-सुनते हैं।

- वरिष्ठ नागरिक केंद्रों (Senior Citizen Centers) में डिजिटल लर्निंग लैब की स्थापना की जाए।
- बुजुर्गों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी को IPC के तहत "बुजुर्ग अपराध" (elderly-specific offense) घोषित किया जाए।
- प्राइवेट कंपनियों को भी CSR के अंतर्गत बुजुर्गों की डिजिटल मदद करने को प्रेरित किया जाए।
- शिक्षण संस्थानों में 'डिजिटल समाजसेवा' कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जहाँ छात्र बुजुर्गों को तकनीकी प्रशिक्षण दें।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'Digital Rights Charter' तैयार किया जाए जिसमें उनकी साइबर सुरक्षा, सूचना का अधिकार और डिजिटल समानता को स्थान मिले।
- अशिक्षित बुजुर्गों के लिए ऑडियो-विज़ुअल डिजिटल गाइड विकसित किए जाएँ।
- न्यायालयों में बुजुर्गों की डिजिटल मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाए।
- डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं (telemedicine, e-prescription) में बुजुर्गों की प्राथमिकता तय की जाए।
- सरकार, NGOs और समुदाय का त्रिस्तरीय समन्वय तंत्र बनाया जाए ताकि बुजुर्गों को व्यापक डिजिटल संरक्षण मिल सके।

- परिवार के सदस्यों को बुजुर्गों को तकनीक से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- सरकार को पंचायतवार्ड स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए।/
- कानून में बुजुर्गों के लिए विशेष साइबर सेल की स्थापना हो।
- बुजुर्गों के डिजिटल अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी जाए।

Ashwani Kumar v. Union of India (2018) 5 SCC 1

विषय: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और कल्याण

निर्णय - सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर राज्य में वृद्धाश्रम, हेल्पलाइन, और वरिष्ठ नागरिक आयोग कार्यरत हों। डिजिटल सेवाओं से बुजुर्गों की उपेक्षा पर भी चिंता जताई गई।

Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017) 10 SCC 1

विषय: निजता का अधिकार और आधार योजना

निर्णय - सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और यह कहा कि आधार जैसी डिजिटल योजनाओं में डेटा सुरक्षा और बुजुर्गों की पहचान व सुविधा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

People's Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India (2003) 4 SCC 399

विषय: टेलीफोन टेपिंग और निजता

निर्णय - डिजिटल संचार में बुजुर्गों की निजता की रक्षा हेतु, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी की बातचीत की निगरानी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकती है। यह डिजिटल युग में बुजुर्गों की निजता की सुरक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण है।

Common Cause (A Regd. Society) v. Union of India (2018) 5 SCC 1

विषय: बुजुर्गों की गरिमा और जीवन के अंत का अधिकार

निर्णय - कोर्ट ने "जीवित वसीयत) "Living Will) को मान्यता दी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा का निर्णय स्वयं ले सकें। यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में बुजुर्गों की स्वायत्तता को महत्व देता है।

Shabnam Hashmi v. Union of India (2014) 4 SCC 1

विषय: अधिकारों की समानता और सामाजिक सुरक्षा

निर्णय - सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों को समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। डिजिटल सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।

State of Kerala v. Sudhi (2004) SCC OnLine Ker 377

विषय: साइबर अपराध और धोखाधड़ी

निर्णय - यह मामला साइबर फ्रॉड से संबंधित था जिसमें एक बुजुर्ग को डिजिटल माध्यम से ठगा गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराध में बुजुर्ग पीड़ितों के लिए विशेष जांच और संवेदनशीलता आवश्यक है।

Sudesh Jhaku v. K.C. Jhaku, AIR 1998 Delhi 2009

बुजुर्ग माता-पिता का देखभाल और भरण-पोषण। अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) + Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 का समर्थन।

निष्कर्ष

डिजिटल युग ने जहाँ दुनिया को गति, सुविधा और संचार की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है वहीं समाज के एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वर्ग – बुजुर्गों – के सामने अनेक प्रकार की नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं। तकनीक के इस बदलते दौर में जब बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, संचार, पेंशन व्यवस्था, पहचान प्रणाली (जैसे आधार), न्याय प्रणाली और शिक्षा आदि सभी डिजिटल हो चुके हैं, तब उन व्यक्तियों के लिए, जो तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हैं या डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं, यह एक प्रकार का डिजिटल बहिष्कार बन गया है।

बुजुर्गों को आज दोहरी मार झेलनी पड़ रही है – एक ओर पारिवारिक उपेक्षा और अलगाव, तो दूसरी ओर तकनीकी दुनिया में उनकी अनदेखी। वे न केवल साइबर अपराधों, डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघन का शिकार हो रहे हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अकेलेपन, हीनता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन, एप्लिकेशन और

डिजिटल दस्तावेजों की जटिलता उनके लिए एक चुनौती बन गई है। इस परिस्थिति में, परिवार और कानून, दोनों की जिम्मेदारी अत्यधिक बढ़ जाती है। परिवार की भूमिका केवल भावनात्मक सहारा देने की नहीं, बल्कि बुजुर्गों को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की होनी चाहिए। यदि परिवार के युवा सदस्य उन्हें मोबाइल उपयोग, ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा सिखाएँ, तो यह न केवल उनकी उपयोगिता को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानित स्थान भी दिलाता है। वहीं कानून की भूमिका केवल समस्या के समाधान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे रोकथाम, संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ना चाहिए। वर्तमान विधिक प्रावधान जैसे IT Act, 2000 और Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 में बुजुर्गों के लिए कुछ सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, किंतु डिजिटल युग की जटिल और नवीन चुनौतियों को देखते हुए यह अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। अब आवश्यकता है एक समर्पित विधिक ढाँचे की जो विशेष रूप से डिजिटल युग में बुजुर्गों के अधिकारों, हितों और गरिमा की रक्षा कर सके।

साथ ही, राज्य और केंद्र सरकारों को स्थानीय स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियान, विशेष हेल्पलाइन, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, और बुजुर्गों के लिए तकनीकी अनुकूल सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी। न्यायालयों को भी बुजुर्गों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, और पुलिस व्यवस्था को संवेदनशील तथा प्रशिक्षित बनाना होगा।

सारांशतः, डिजिटल युग में बुजुर्गों की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं– सामाजिक, तकनीकी, मानसिक और विधिक। इनसे निपटने के लिए हमें एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें परिवार, समाज, कानून, प्रशासन और तकनीकी संस्थाएँ मिलकर बुजुर्गों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्मित करें, जहाँ वे डिजिटल बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, न कि पीछे छूट जाएँ। यह केवल उनका अधिकार ही नहीं, बल्कि हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

पुस्तकें

1. "Law Relating to Senior Citizens" – Dr. S.K. Kapoor
2. "Cyber Law in India" – Vakul Sharma
3. "Aging and Human Rights: A Rights-Based Approach to Social Policy" – Claudia Mahler
4. "Information Technology and Law" – Talat Fatima
5. "Elder Abuse and Neglect" – Mary Jo Fay (International Perspective, तुलनात्मक अध्ययन हेतु उपयोगी)

महत्वपूर्ण अधिनियम

1. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
2. Information Technology Act, 2000 (with amendments)
3. Constitution of India – Article 14, 21, 41
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 -(यदि बुजुर्ग असमर्थता से जूझ रहे हों)
5. Indian Penal Code, 186**0** – Sections 415, 420 (धोखाधड़ी से संबंधित)

महत्वपूर्ण निर्णय

1. Ashwani Kumar v. Union of India (2018) 5 SCC 1
2. K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC 1
3. Common Cause v. Union of India (2018) 5 SCC 1
4. Sudesh Jhaku v. K.C. Jhaku, AIR 1998 Delhi 209
5. Delhi Development Authority v. Skipper Construction (1996) 4 SCC 622

(Government Reports & Policies)

1. Report of the Ministry of Social Justice and Empowerment – "Status of Elderly in India, 2021"
2. National Policy on Older Persons (NPOP), 1999
3. Digital India Programme Guidelines – MeitY, Government of India
4. National Cyber Security Policy, 2013
5. Law Commission of India Report No. 246 – Privacy Laws and Digital Security
6. https://socialjustice.gov.in – Ministry of Social Justice & Empowerment
7. https://ncpcr.gov.in – National Commission for Protection of Child Rights (for intergenerational schemes)
8. https://meity.gov.in – Ministry of Electronics & IT
9. https://prsindia.org – For legal bills and policy updates
10. https://indiankanoon.org – For accessing full-text judgments and laws